

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2024

जयपुर, दिनांक :

आदेश

डा. राजेश कुमार, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुडगांव, करौली को जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, करौली के कार्यालय की अग्रिम आदेशों तक सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 3 के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियां एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निशा मीना)
संयुक्त शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2)
विभाग एवं पंचायती राज
(चिकित्सा) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. जिला कलेक्टर, करौली
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य/प. क.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन, भरतपुर
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली
7. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, करौली
8. कोषाधिकारी, करौली
9. संबंधित अधिकारी
10. कम्प्यूटर सेल/निजी/रक्षित पत्रावली
11. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

RajKaj Ref
5990232



Digitally signed by Nisha Meena
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.03.08 11:09:10 IST
Reason: Approved